

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/सा0चि0पदा0-48/2025- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० नूपुर सिंह, तत्कालीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बनमनखी, पूर्णियाँ सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर के द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि दिनांक 05.07.2024 से 31.12.2024 तक कुल 180(एक सौ अस्सी) दिनों को वित्त विभाग के पत्रांक-9889, दिनांक 01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक-2/सा0चि0पदा0-48/2025- 722(2) पटना, दिनांक 8/5/2025

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त

(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर/असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्णियाँ/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, बनमनखी, पूर्णियाँ/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा० नूपुर सिंह, तत्कालीन सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, बनमनखी, पूर्णियाँ सम्प्रति सीनियर रेजिडेंट (प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग), जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव
Ar